

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

E-mail:-dpojgr@rediffmail.com

क्र./367 / मबावि / स्था. / 2026-27

जांजगीर, दिनांक 18/05/2026

// विज्ञापन //

मिशन शक्ति अंतर्गत सखी निवास के संचालन हेतु सेवा प्रदाता के स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय सखी निवास हेतु जिले में 08 सेवा प्रदाता पद की स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन पत्र दिनांक 08/01/2026 से 31/01/2026 तक <https://sakhiniwas.e-bharti.in/janjgir-champa> ऑनलाईन के माध्यम से मंगाया गया था। जिसमें पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण उक्त विज्ञापन को निरस्त करते हुए पुनः ऑफ लाईन विज्ञापन जारी किया जा रहा है।

आवेदन पत्र दिनांक 19/05/2026 से 02/06/2026 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर-चांपा, (छ.ग.) में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन रजिस्टर्ड डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार किया जावेगा। विज्ञापित पद निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वर्ग	वेतन मैट्रिक्स लेवल	एकमुश्त/ सेवा प्रदाता मासिक वेतन
1	प्रबंधक	01	अनारक्षित	06	18420
2	केयर टेकर	03	अनारक्षित	01	5766 (अर्द्धकालीन)
3	सुरक्षा गार्ड/चौकीदार	03	अनारक्षित	01	11360
	कुल :-	07			

चयन हेतु आवश्यक शर्त:-

- 1 सखी निवास में समस्त कर्मचारी महिलायें होंगी।
- 2 सखी निवास के प्रबंधक पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 25 से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
- 3 सखी निवास के शेष पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम न हो।
- 4 आयु के सत्यापन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र, शाला का दाखिल खारिज पंजी, कक्षा 5, 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 5 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ऑफलाईन जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा स्व प्रमाणित किया जावे।
- 7 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव स्व प्रमाणित प्रमाणित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जाये।

- 8 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे।
- 9 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 10 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 11 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 12 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पश्चात का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य की जावेगी।
- 13 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। आवेदक द्वारा पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। आवेदक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 14 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 15 कौशल परीक्षा/वॉक इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 16 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 17 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- 18 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर वरीयता तैयार करते हुए कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।
- 19 **आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे—**
 - 1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
 - 2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 20 अंक।
 - 3 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। इन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव अंक में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची अनुसार 01 पद के विरुद्ध 1:5 के अनुपात अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी। कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कहीं यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तें :- भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश में चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडों को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:-


4.1 शक्ति सदन संचालन हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव:-

क.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	आयु सीमा
1	प्रबंधक	सामाजिक कार्य / सामाजिक विज्ञान / मनोविज्ञान / समाज शास्त्र में स्नातक	कम्प्यूटर का अच्छा ज्ञान होना एवं M.S. Office में कार्य करने की क्षमता	शासकीय / अशासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थानों के परियोजना / कार्यक्रमों में महिलाओं से संबंधित विषय जिसमें कामकाजी महिला छात्रावास में पर्यवेक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष कार्य का अनुभव	आयु 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो
3	केयर टेकर	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / शिक्षण संस्थान से हायर सेकेंडरी / 10+2 या समकक्ष	-	बिल्डिंग केयरटेकर तथा बहुउद्देशीय सहायक के कार्य का सुपरविजन कार्य या समकक्ष के पद पर 02 वर्ष का कार्यानुभव	आयु 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम न हो।
4	सुरक्षा गार्ड / चौकी दार	आठवीं उत्तीर्ण	-	राज्य या जिला स्तर पर सुरक्षाकर्मी कार्य का 02 वर्ष का कार्यानुभव। सेवा निवृत्त सैन्य / अर्द्ध सैन्य व्यक्ति / महिला को प्राथमिकता दी जायेगी।	आयु 01.01.2026 को 25 वर्ष से कम न हो।

नियुक्ति की अवधि:-

- इन समस्त पदों पर प्रथम बार में सेवा प्रदाता पद पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तदपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर सेवा प्रदाता के सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 या 2 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा सेवा प्रदाता की नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी। सेवा प्रदाता की यह अवधि भारत शासन द्वारा योजना की अवधि तक ही सीमित होगी।
- नियुक्ति अवधि में शक्ति सदन के प्रावधान के अनुसार सेवा प्रदाता के वेतन देय होगा। तथा सेवा प्रदाता के वेतन के अतिरिक्त कोई वेतन भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। सेवा प्रदाता सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- इस पद की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत कार्य कमी की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- 5 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- 6 चयनित अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड जांजगीर-चांपा में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास) जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

E-mail:-dpojgr@rediffmail.com

// प्रेस विज्ञापित //

मिशन शक्ति अंतर्गत सखी निवास के संचालन हेतु सेवा प्रदाता के स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में स्वीकृत सेवा प्रदाता के पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 19/05/2026 से 02/06/2026 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला जांजगीर-चांपा, (छ.ग.) में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन रजिस्टर्ड डाक/ स्पीडपोस्ट/ कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार किया जावेगा।

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट <https://janjgir-champa.gov.in/en/> व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

क्र./368 /मबावि/स्था./2026-27
प्रतिलिपि:-

जांजगीर, दिनांक 18/5/2026


- 1 कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2 उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञापित को प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।
- 3 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (N.I.C.) जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को जिले के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला जाजगीर-घांपा (छ.ग.)



1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता :-
-
5. (वर्तमान पता) :-
-
- दूरभाष / मो.नं.
6. जन्मतिथि (अंको में) :-
- (शब्दों में) :-
7. दिनांक 01/01/2028 को :- वर्ष माह दिन
- (पुष्टि हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)
- आयु
8. लिंग पुरुष/महिला :-
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति..... वर्ग.....
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं ? :- हाँ / नहीं
- (यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।)
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :-
12. यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि व जीवित बच्चों की संख्या :-
13. शैक्षणिक योग्यता:- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था/वि.वि. का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता :-.....

15 अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-.....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण	कार्य का प्रकार

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक व दिनांक

17. रोजगार कार्यालय का नाम व जिला

18. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी) संलग्न करें।

19. निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त/जारी) संलग्न करें।

20. अनिवार्य संलग्नकों की सूची:-

1. जन्म तिथि हेतु 10 वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र

2. 12 वीं अंकसूची

3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र

4. मूल निवास प्रमाण पत्र।

1. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

2. पहचान पत्र/आधार कार्ड/वोटर आईडी इत्यादि।

3. एक लिफाफा जिसमें स्वयं का पता लिखा व 10 रु डाक टिकट सहित।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1.....2.....3.....

4.....5.....6.....

7.....8.....9.....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

//घोषणा पत्र//

मैं घोषण करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पत्र के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

पूरा नाम एवं पता

मोबाइल नम्बर-

ईमेल आईडी-